भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1804

(जिसका उत्तर, सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है)

वित्त आयोग के अंतर्गत शामिल किया जाना

1804. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुदुचेरी सरकार से बार-बार अनुरोध प्राप्त होने के बावजूद वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत पुदुचेरी संघ राज्य-क्षेत्र को अभी तक शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, जो कि विधानमंडल वाला संघ राज्यक्षेत्र है, को 15वें वित्त आयोग के दायरे के अंतर्गत लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय के अंतर्गत पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र को शामिल करने के लिए पहल करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार को जानकारी है कि पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के स्थानीय निकायों को निधियों का अंतरण नहीं होने के कारण वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोगों का गठन किया जाता है। वे राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिशें करने के लिए बाध्य हैं "करों की निवल प्राप्तियों का संघ और राज्य के बीच वितरण, ऐसी प्राप्तियों [अनुच्छेद 280(3)] के संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आबंटन के अनुसार, किया जाना है अथवा किया जा सकता है। अत: पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी संघ राज्य क्षेत्र पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के दायरे से बाहर आते हैं।

(ख): पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों की परिधि में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं हैं।

(ग): पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों की परिधि में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

(घ): विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र होने के नाते पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पास निधियों का अपना स्रोत है जिनका उपयोग वे अपनी जरूरतों सहित अपने स्थानीय निकायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तथापि, संघ सरकार ने अपने बजट में "पुदुचेरी को अंतरण" अनुदान के अंतर्गत दी गई निधियों का प्रावधान करने के माध्यम से पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संसाधनों में वृद्धि की है। ब.अ. 2020-21 में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को ₹1703.20 करोड़ की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वयन करती है, जिसके लिए केंद्रीय हिस्सा प्रदान किया जाता है।

*****